राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक: राम / भू.अ. / जी–3 / प–142 / 97 / 7106–37 दिनांक 19.05.2004

जिला कलक्टर,
समस्त (राजस्थान) ।

– : परिपत्र : –

विषय :– नामान्तरकरण प्रकिया के संबंध में ।

राजस्व मण्डल के माननीय सदस्यगण द्वारा समय समय पर किये गये निरीक्षण एवं विभागीय जांच से संबंधित पत्रावलियों के परीक्षण करते समय यह ध्यान में आया है कि क्षैत्र में तैनात राजस्व अधिकारी/ कर्मचारियों को इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण कार्यवाही करते समय मौके पर केता के वास्तविक कब्जे का स्थिति या विकेता द्वारा किये गये कब्जे के हस्तान्तरण की स्थिति की जांच करना है अथवा नहीं ?

राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 119 से 133 तक में नामान्तकरण की कार्यवाही के बारे में प्रावधि किया गया है, जिसमें नियम 133 (सी) में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि यदि पक्षकारों के बांच में पंजीकृत दस्तावेज में यह सहमति प्रकट कर दी गयी हो कि विवादित भूमि का कब्जा दे दिया गया है, तो पटवारी को कब्जे के हस्तान्तरण के संबंध में जांच करने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु नियम 125 के संदर्भ में ही खेत के एक भाग के हस्तान्तरण के समय कब्जे संबंधी जांच पटवारियों एवं तस्दीकर्त्ता अधिकारी द्वारा की जानी है । कई बार पूरे खसरा नम्बर का विकय होने की स्थिति में भी कब्जे की जांच की जा रही है एवं कब्जा नहीं होने का हवाला देकर नामान्तकरण खारिज किए जा रहे है, जो उचित नहीं है ।

अतः पंजीकृत दस्तावेज द्वारा विकित कृषि भूमि के नामान्तरणों के संबंध में यदि पक्षकारों के बीच में दस्तावेज में यह सहमति प्रकट कर दी गयी हो कि विवादित भूमि का कब्जा दे दिया गया है तो :–

1– एल.आर. (रेकार्ड) नियम 133 (सी). के अनुसार :– पंजीकृत विकय पत्र में प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा देने को अंकित कर देने पर यह नामान्तरकरण तस्दीक करने वाले अधिकारी को कब्जे का जांच करना आवश्यक नहीं है । उसे विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करना बाध्यकारी है ।

2– एल.आर. (रेकार्ड) नियम 125 के अनुसार :– पंजिबद्ध विकय पत्र में खसरा नम्बर के किसी भाग के हस्तान्तरण होने की स्थिति में विकित हिस्से का दस्तावेज के अनुसार ही कब्जा हस्तान्तरित हुआ है, मानचित्र तैयार कर जांच की जानी अपेक्षित है । कृपया उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें ।

ह0
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर ।

कमांक: सम / 7138–69

दिनांक 19.05.2004

प्रतिलिपी :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद .... समस्त को समस्त ग्राम पंचायतों में पालनार्थ भिजवाने हेतु ।

ह0
उप–निबन्धक (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर